



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226199
CG-DL-E-27032021-226199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1269]

नई दिल्ली शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1269]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1373(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, कांगपोकपि (NH2) के कि.मी 262.29 से 287मणिपुर राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH2 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डेप्यूटी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	मणिपुर	कांगपोकपि	कांगपोकपि	1 १०७ - तुमनोपोक्पि

		NH2 के कि.मी. 262.29 से 287 तक			चम्फाई	1 १११ - कैथेलमंबी 2 १०६ - थोनबा
					साईटु गामफाज़ोल	1 ३१ - कंगलाटोंगबी 2 ३२ - कुरोपोक्पि 3 ११७ - खोईरेन तंपक

[फा. सं. NHIDCL/PMU-SPT/NH-39/LA/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1373 (E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 262.29 to 287 of Deputy Commissioner Office, Kangpokpi (NH2) in the State of MANIPUR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MANIPUR.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH2 in the State of MANIPUR.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner	262.29KM To 287KM	MANIPUR	Kangpokpi	Kangpokpi	1 107- Tumnoupokpi
					Champhai	1 111- Keithelmanbi 2 106- Thounamba
					Saitu Gamphazol	1 31- Kanglatongbi 2 32- Kuraopokpi 3 117- Khoiren Tampak

[F. No. NHIDCL/PMU-SPT/NH-39/LA/2021]

RAJESH GUPTA, Director